22.4.14

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण कमांक / 2012 निगरानी – R 3008-II/12

अमित शर्मा, अभिभाषक द्वारा आज दि. 10-9-12 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 10-9-12
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मेहरबान पुत्र मोती लोधी उम्र 70 वर्ष व्यवसाय कृषि एवं मजदूरी निवासी ग्राम भयावन तहसील पिछोर जिला शिवपुरी म.प्र. – – निगरानीकर्ता

बनाम

1 – अजय कुमार पुत्र श्यामलाल गुप्ता उम्र 34 वर्ष व्यवसाय साहूकारी एवं दुकानदारी निवासी ग्राम मनपुरा हाल निवास लखेरे वाली गली शिवपुरी जिला शिवपुरी मंप्र.

2 – गोपाल पुत्र रामदास पहारिया गुप्ता

3 – अशोक पुत्र विश्वनाथ पहारिया गुप्ता व्यवसाय दुकानदारी एवं साहूकारी निवासीगण ग्राम मनपुरा तहसील पिछोर जिला शिवपुरी म.प्र.

Amit Sharma Adv 10-9-12

– – –अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. रा. संहिता 1959

निम्नलिखित निगरानी माननीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पिछोर द्वारा प्रकरण कमांक 593 /11–12 / बी 121 में दिनांक 25/07/2012 एवं दिनांक 21/08/2012 की आदेश पत्रावली से परिवेदित होकर अवधि अंदर उक्त निगरानी माननीय के समक्ष प्रस्तुत है।

महोदय

सेवा में निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी सुद्धरण आधारो पर निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1 – यह कि, निगरानीकर्ता ने एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 5 तथा प्रारुप एक नियम तीन कुचकों से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम 1976 के अंतर्गत अनावेदकगण के विरुद्व दिनांक 05/03/2012 को माननीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पिछोर के न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

2 – यह कि, उपरोक्त प्रकरण में विधिवत तामील जारी की गयी व अधीनस्थ

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3008—दो / 2012 जिला — शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22—4—2014 11 : 30 बजे	आवेदक मेहरबान पुत्र मोती लोधी निवासी ग्राम भयावन तहसील पिछोर जिला शिवपुरी को सूचना जारी की गई थी, परन्तु वे उपस्थित नहीं और न ही उनके अभिभाषक उपस्थित हैं। पुनः 2:30 बजे आवाज लगाई जाये। सदस्य	
2 : 30 बजे	आवेदक एवं उनके अभिभाषक को आवाज लगाई गई कोई उपस्ति नहीं। पुनः 5:00 बजे आवाज लगाई जाये। सदस्य	
5 : 00 बजे	आवेदक एवं उनके अभिभाषक को आवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं। उन्हें 11:30 एवं 2:30 बजे भी आवाज लगाई गई थी। अतः आवेदक एवं उनके अभिभाषक की अनुपस्थिति में प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (अशोक शिवहरे) सदस्य	